नगर निगम, सहारनपुर

07 नवम्बर, 2017 ई0

सं0 538/स्वा0वि0/न0नि0स0पुर–सहारनपुर नगर निगम द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं कूड़ा नियंत्रण उपनियम, 2017 एवं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं कूड़ा नियन्त्रण सम्बन्धी निर्गत ड्राफ्ट के अनुसार किये गये अर्थदण्ड के प्राविधानों को लागू किया जाता है।

नियमावली के उपनियम 5 व 6 कूड़े का पृथकीकरण, एकत्रीकरण, संवहीकरण, निस्तारण का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड निर्धारित है। यदि कोई मौके पर अर्थदण्ड नहीं देता है तो 133 सीआरपीसी में चालान किया जायेगा।

क्र0 सं0	नियमावली का उप नियम सं0	विवरण	दण्ड की राशि	सक्षम प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	5.1	गीले/सूखे कूड़े को अलग-अलग डिब्बे में न रखने पर	100	सफाई निरीक्षक/सुपरवाईजर
2	5.1	जैविक व अजैविक का पृथकीकरण न करने पर	100	सफाई निरीक्षक/सुपरवाईजर
3	5.2	आवास के सामने सड़क पर किसी भी तरह का कूड़ा/कटा पेड़, भवन सामग्री एकत्रित करने पर	1,500	सफाई निरीक्षक/सुपरवाईजर
4	5.2	सड़क पर लैट्रिन/पेशाब करने पर	200	सफाई निरीक्षक/सुपरवाईजर
5	5.2	सड़क/गली में कुत्तों/पशुओं के लैट्रिन करने पर	500	सफाई निरीक्षक/सुपरवाईजर
6	5.2	पशुओं को सड़क पर आवारा छोड़ने पर	1,000 प्रति पशु	सफाई निरीक्षक/सुपरवाईजर
7	5.2	सड़क पर थूकने/स्नान करने पर	100	सफाई निरीक्षक/सुपरवाईजर
8	5.3	नाली/नाले में गंदगी फैलाने व कूड़ा डालने पर/लैट्रिन बहाने पर	10,000	सफाई निरीक्षक/नगर स्वास्थ्य अधिकारी
9	5.3	नदी नाले में सैप्टिक टैंक क्लीनर मशीनों द्वारा एकत्रित सीवेज डालने पर	50,000	सफाई निरीक्षक/नगर स्वास्थ्य अधिकारी
10	5.5	मानक रहित पॉलीथिन में कूड़ा रखने पर	5,000	सफाई निरीक्षक/सुपरवाईजर
11	6.1	व्यावसायिक संस्था द्वारा जैव अवक्रमणीय पदार्थ की कम्पोस्टिंग न करने पर	1,000	सफाई निरीक्षक/सुपरवाईजर
12	6.1	व्यावसायिक संस्था द्वारा अपशिष्ट का पृथकीकरण न करने पर	300	सफाई निरीक्षक/सुपरवाईजर
13	6.1	व्यावसायिक संस्था या खाद्य पदार्थों/मांस/ शराब के विक्रेताओं द्वारा दुकान के सामने सड़क पर किसी भी तरह का कूड़ा डालने पर	500	सफाई निरीक्षक/सुपरवाईजर
14	6.2	व्यावसायिक संस्था द्वारा नाला/नदी/ नाली/सड़क पर किसी भी तरह का अधिक कूड़ा डालने पर/गन्दगी/कूड़ा जलाने पर	10,000	नगर स्वास्थ्य अधिकारी/ सफाई निरीक्षक
15	6.3	व्यावसायिक संस्था द्वारा मानक पॉलीथिन के अन्दर कूड़ा न रखने पर/गैर मानक पॉलीथिन में कूड़ा रखने पर	10,000	नगर स्वास्थ्य अधिकारी/ सफाई निरीक्षक
	6.3	प्राईवेट आयोजकों द्वारा आयोजन उपरान्त सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फैलाने/गन्दगी फैलाने पर सफाई व्यय	1,000	सफाई निरीक्षक/सुपरवाईजर

उक्त उपनियम पर सर्वसाधारण से सुझाव हेतु 07 दिन का समय निर्धारित किया जाता है।

ह0 (अस्पष्ट)
नगर आयुक्त,
नगर निगम, सहारनपुर।